भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान
बागपत – 250609 (उत्तर प्रदेश)

Government of India
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying
Department of Animal Husbandry and Dairying
C.C.S. National Institute of Animal Health
Baghpat-250609, Uttar Pradesh

Central Drugs Laboratory (Veterinary Biologicals)
Approved by Ministry of Health and Family Welfare, Govt. of India
Ph. No. 0121-2997012/2997011
E-mail: ccs.niah@gov.in; Website: http://www.ccsniah.gov.in
An ISO 9001:2015 certified organization

F. No. 1/14/2025-26/CCSNIAH(E-31458) 2809
Dated: 05.06.2025

कार्यालय आदेश

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) में निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान बागपत में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के लिए निम्नलिखित आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाता है:

1.	डॉ. शीतल पंत, सहायक आयुक्त, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान (मो. 7500830775)	पीठासीन अधिकारी (अधिनियम के प्रावधान 4 (2) (a) के अनुसार)
2.	डॉ. निहार नलिनी मोहंती, सहायक आयुक्त, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान (मो. 9536499003)	सदस्य (अधिनियम के प्रावधान 4 (2) (b) के अनुसार)
3.	श्रीमति मोनिका श्रीवास्तव, प्रयोगशाला सहायक, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान (मो. 8318119915)	सदस्य (अधिनियम के प्रावधान 4 (2) (b) के अनुसार)
4.	श्रीमती कल्पना मलिक, एडवोकेट, पत्नी समर पाल सिंह, एल 1/5, शिक्षा एन्क्लेव, सेक्टर -6, वसुंधरा, गाजियाबाद (यूपी), (मो. 6398809336)	बाहरी सदस्य (अधिनियम के प्रावधान 4 (2) (c) के अनुसार)

2. समिति के गैर सरकारी संगठन/बाहरी सदस्य को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के नियम 3 के अनुसार समिति की कार्यवाहियां करने के लिये संस्थान द्वारा ऐसी ऐसी फीस या भत्ते, जो विहित किया जाये, संदत्त किये जायेगे।

3. पीठासीन अधिकारी तथा समिति के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल समिति के गठन की तिथि से तीन वर्ष का होगा।

4. आंतरिक शिकायत समिति प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 21 के अनुसार संस्थान को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

5. यह कार्यालय आदेश निदेशक महोदय के अनुमोदन (E-31458 नोट#4 दिनांक 04.06.2025) से जारी किया जा रहा है।

05.06.2025

(संदीप कुमार सिंह)
कार्यालय प्रमुख

वितरण:

1. डॉ. शीतल पंत, सहायक आयुक्त, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान, बागपत।
2. डॉ. निहार नलिनी मोहंती, सहायक आयुक्त, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान, बागपत।
3. श्रीमति मोनिका श्रीवास्तव, प्रयोगशाला सहायक, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान, बागपत।
4. श्रीमती कल्पना मलिक, एडवोकेट, पत्नी श्री समर पाल सिंह, एल 1/5, शिक्षा एन्क्लेव, सेक्टर -6, वसुंधरा, गाजियाबाद, (यूपी)।
5. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव अपर सचिव (पशुधन स्वास्थ्य), मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग, कृषि भवन, दिल्ली-110001-को सूचनार्थ हेतु।
6. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, पशुपालन आयुक्त, भारत सरकार, पशुपालन और डेयरी विभाग-को सूचनार्थ हेतु।
7. समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी।
8. नोटिस बोर्ड/संबंधित फाइल/वेबसाइट।

भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान
बागपत – 250609 (उत्तर प्रदेश)

सत्यमेव जयते

Government of India
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying
Department of Animal Husbandry and Dairying
C.C.S. National Institute of Animal Health
Baghpat-250609, Uttar Pradesh

Central Drugs Laboratory (Veterinary Biologicals)
Approved by Ministry of Health and Family Welfare, Govt. of India
Ph. No. 0121-2997012/2997011
E-mail: ccs.niah@gov.in; Website: http://www.ccsniah.gov.in
An ISO 9001:2015 certified organization

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

आज़ादी का अमृत महोत्सव

F. No. 1/14/2025-26/CCSNIAH(E-31458) 2809
Dated: 05.06.2025

OFFICE ORDER

In exercise of the power contained in section 4(1) of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 the Internal Complaint Committee of CCSNIAH, Baghpat for redressal of complaints of sexual harassment of women at workplace is constituted with the following composition:-

1.	Dr. Sheetal Pant, Assistant Commissioner, CCSNIAH, Baghpat (Mob. 7500830775)	Presiding Officer (As per provision under section 4 (2) (a) of act)
2.	Dr. Nihar Nalini Mohanty, Assistant Commissioner, CCSNIAH, Baghpat (Mob. 9536499003)	Member (As per provision under section 4 (2) (b) of Act)
3.	Smt Monika Shrivastava, Lab Assistant CCSNIAH, Baghpat (Mob. 8318119915)	Member (As per provision under section 4 (2) (b) of Act)
4.	Smt. Kalpana Malik, Advocate, C/o Sh. Samar Pal Singh, L 1/5 Shiksha Enclave Sector-6, Vasundhar, Ghaziabad (U.P) , (Mob.- 6398809336)	External Member (As per provision under section 4 (2) (c) of Act)

2. Member of the Non-Government Organization/External member of the Committee shall be paid fees for allowances as per Rule 3 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 for holding the proceedings of the committee.

3. The term of office of Presiding Officer and every member of the committee shall be three years from the date of constitution of Committee.

4. The Internal Complaint Committee shall in each calendar year submit an annual report to the employer as per section 21 of Sexual Harassment of Women at workplace Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

5. This issues with the approval of AHC, DAHD being Director, CCSNIAH vide note#4 dated 04.06.2025 in E-31458.

05.06.2025

(Sandeep Kumar Singh)
Head of Office

Distribution:

1. Dr. Sheetal Pant, Assistant Commissioner, CCSNIAH, Baghpat
2. Dr. Nihar Nalini Mohanty, Assistant Commissioner, CCSNIAH, Baghpat
3. Smt Monika Shrivastava, Lab Assistant CCSNIAH, Baghpat
4. Smt. Kalpana Malik, Advocate, C/o Sh. Samar Pal Singh, L 1/5 Shiksha Enclave Sector-6, Vasundhra, Ghaziabad (U.P)
5. Sr PPS to Additional Secretary (LH), DAHD, MoAH&D, Krishi Bhawan, New Delhi-110001 for information please
6. Sr. PPS to AHC, DAHD for information please
7. All employees of CCSNIAH
8. Notice Board/Guard File/Website